सेवा में

माननीय-अध्यक्ष / मुख्य न्यायाधीश महोदय

राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली,।

विषय--केस नंबर 556/2023 में प्रार्थी द्वारा की गई शिकायतों में आपके आदेश के बाद भी जाँच टीम द्वारा मौके पर आज भी साक्ष्य मौजूद होने पर भी आज तक निष्पक्ष जांच न किए जाने, तथा-

प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को प्रशासन के सहयोग से तथा अन्य लोगों से रोड ऐक्सिडेंट /अन्य घटनाओं में गावर कम्पनी द्वारा हत्या कराने के उद्देश्य से दिनाँक 21-02-2024 को 9 बजे रात्रि में बिना किसी कारण 2 पुलिस जीपों में महिला सिपाहियों सहित लगभग एक दर्जन से ज्यादा लोगों को प्रार्थी के ग्राम में भेजे जाने,

उक्त शिकायत में यूपीडी व गाबर कम्पनी ने प्रशासन से मिलकर मौके पर लगभग 40 से 50 फिट से अधिक गहराई तक अबैध मिटटी खनन किये जाने के साक्ष्य फोटो ग्राफ उपलब्ध कराए जाने के संबंध में,।

मान्यवर

1- आपसे निवेदन करना है कि प्रार्थी ने जब से आपके यहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निर्माण में हुये अबैध तरीके से 10 से 20 मीटर तक गहराई से अधिक प्रशासन से मिलकर गाबर कंपनी द्वारा जिला जालौन में सैकड़ो जगह अबैध मिट्टी खनन किया गया है जिसमें उक्त गबर कंपनी द्वारा जिला खनिज विभाग जालौन में कुछ किसानों की भूमि में मिट्टी खनन करने की स्वीकृति मांगी गई जिसमें विभाग द्वारा उक्त को सिर्फ दो (2)मीटर तक ही गहराई से मिट्टी खानन करने की स्वीकृति प्रदान की गई उसके बावजूद भी उक्त लोगों द्वारा अवैध तरीके से पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखकर जबरन प्रशासन के सहयोग से अत्यधिक गहराई से मिट्टी खनन किया गया,।

2-- गबर कंपनी द्वारा सैकड़ो किसानों की भूमि से बिना खनिज विभाग से स्वीकृति लिए हुए अत्यधिक गहराई से अबैध मिट्टी खनन किया गया है जिनका खनिज विभाग में कहीं नाम नहीं है और मौके पर आज भी अत्यधिक गहराई से मिट्टी खनन के साक्ष्य मौजूद हैं,।

3--जब तक गाबर कंपनी द्वारा दिन-रात 24 घण्टे मिट्टी खनन किया गया तब तक जिलाधिकारी व खनिज बिभाग द्वारा मौके का किसी भी प्रकार का मिट्टी खनन के मानक व गहराई का मौका मुआना निरीक्षण नहीं किया गया, और जिला प्रशासन मौन रहा,।

4-- प्रार्थी ने जब से आपके यहां पर शिकायत की पहली सुनवाई के बाद से ही प्रशासन के सहयोग से गाबर कंपनी के द्वारा प्रार्थी की बराबर रेकी कराई जाने लगी तथा प्रार्थी की ऊपर समझौता के लिए दबाव डालने की जाने लगी जिसके बाद दिनांक 21 फरवरी 2024 को रात्रि 9 बजे प्रार्थी के ग्राम में पुलिस अधीक्षक द्वारा दो पुलिस जीप/कार भरकर महिला सिपाहियों सहित प्रार्थी की हत्या करने के लिए भेजा गया, प्रार्थी को ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया कि पुलिस की जीप/कार में भरकर पुलिस द्वारा आपका घर पूछा जा रहा था जिसके बाद से प्रार्थी ने अपने हल्का थाना एसएचओ थाना अध्यक्ष से फोन कर पुलिस भेजने का कारण पूछा तो बताया गया कि हमारे थाने एट से आपके यहां पर कोई पुलिस नहीं भेजी गई और ना ही आपके खिलाफ कोई प्रार्थना पत्र है उसके बाद प्रार्थी ने तुरंत पुलिस अधीक्षक महोदय जालौन से फोन पर

आनन्द त्रिपाठी

पूछा कि हमारे यहां पर पुलिस भेजी गई है तब महोदय द्वारा कहा गया कि किस नियम में लिखा है की रात्रि में पुलिस आपके घर पर नहीं भेजी जा सकती है और तुम तो आरटीआई की विशेषज्ञ हो जाकर सीईओ उरई से मिलिए और पुलिस का सहयोग करिए इसके बाद प्रार्थी में ईमेल के माध्यम से 22 फरवरी 2024 को उच्च अधिकारियों सहित माननीय राष्ट्रपति को आपको सूचना दी थी,जिसके बाद 26 फरबरी 2024 को माननीय NGT न्यायालय पास जालौन कुछ सादा बर्दी अज्ञात ब्यक्ति सफेद बिना नंबर की ब्लैक शीशे बाली टाटा सूमो कार खड़ी रही जिसके कारण प्रार्थी 26 फरबरी 2024 को न्यायालय में पेश नहीं हो सका, जिससे स्पष्ट है की प्रार्थी के ऊपर फर्जी केस लगवा कर एनकाउंटर कर तथा प्रार्थी और प्रार्थी के परिवार की हत्या करने की कोशिश की जा रही है यदि प्रार्थी और प्रार्थी के परिवार पर किसी भी प्रकार की घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदार जिला प्रशासन और गाबर कंपनी के मालिक जिम्मेदार होंगे,

5-- प्रार्थी व प्रार्थी के परिबार की रेकी/नजर रखने के लिए गाबर कम्पनी द्वारा प्रार्थी ग्राम नरछा सड़क जो कि NHAI से लगभग 300 मीटर पर स्थित है वहाँ पर अपना प्लांट लगा दिया गया जिससे प्रार्थी की बराबर रेकी कराई जा रही है और हॉटमिक्स प्लांट द्वारा काला धुआँ का लगातार प्रदूषण फैलाया जा रहा है जिसकी प्रत्येक अधिकारियों को जानकारी होने के बाद भी पर्यावरण खराब व प्रदूषण रोकने की कोई कार्यवाही नहीं की गई,।

अतः आपसे विनम्र निबेदन है कि प्रार्थी व प्रार्थी के परिबार की निःशुल्क केंद्रीय सुरक्षा प्रदान करते हुए उक्त प्रकरण में संबंधित अधिकारियों व गाबर कम्पनी को काली सूची में डालकर उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें तो मान्यवर की महान कृपा होगी,,

दिनाँक- 6-5-2024

सलग्न-

1- अत्यधिक गहराई से मशीनों द्वारा अबैध मिट्टी खनन करते हुए फ़ोटो ग्राफ,

प्रार्थी/वादी

अरुण तिवारी

अरुण तिवारी (अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन-NHRO)

पुत्र श्री श्याम विहारी ,निवासी -नरछा, पोस्ट -नूनसाई, जिला -जालौन, उत्तर प्रदेश 285001 मो0-972160555